न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—86 / 2016 / 225 (2016 / 00086)

1. रमेश चन्द पुत्र महेशचन्द, जाति ब्राहमण्, निवासी 103, बी0एम0शर्मा नगर कटारिया कॉलोनी, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती शिवकुमार पत्नी महेशचन्द,
3. राजेश पुत्र महेशचन्द,
   जाति ब्राह्मण, निवासी 103, बी0एम0शर्मा नगर, कटारिया कॉलोनी, ब्यावर, जिला अजमेर हाल निवासी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के पीछे, नई दिल्ली ।

अपीलांटस

बनाम

1. दूदा पुत्र ज्ञाना,
2. हेमा पुत्र ज्ञाना,
3. श्रीमती राधा पत्नि छीतर,
4. भंवर पुत्र छीतर,
5. लक्ष्मण पुत्र छीतर,
6. तेजू पुत्र छीतर,
7. संतोष पुत्र छीतर,
8. मंगल पुत्र नंगा,
9. रामगोपाल पुत्र नंगा,
10. श्रीमती जमनी पत्नी मल्ला,
11. प्रधान पुत्र मल्ला,
12. श्रीमती गीता पत्नी कमल,
13. बीरम पुत्र कमल,
14. लाला पुत्र कमल,
15. शिवराज पुत्र कमल,
16. लाली पुत्री ज्ञाना,
    समस्त जाति रावत, निवासी भवानीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।
17. उप पंजीयक, अरड़का, तहसील व जिला अजमेर ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर दिनांक 9.2.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 17 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री लौकेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री महेन्द्रसिंह एवं श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 16.

निर्णय

दिनांकः— 11.02.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर के आदेश दिनांक 9.2.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 16 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नरवर, तहसील अजमेर में चौसाला खसरा नंबर 2818 रकबा 5—19—00 जिसके वर्किग खसरा नंबर 3198 रकबा 5—19—00 के आधार खसरा नंबर 767 रकबा 0.42 है0, आधार खसरा नंबर 768 रकबा 0.54 है0 बने है तथा चौसाला खसरा नंबर 2819 रकबा 4—01—00 बीघा के वर्किग खसरा नंबर 3202 रकबा 2—19—00 आधार खसरा नंबर 769 रकबा 0.48 है0, वर्किग खसरा नंबर 3203 रकबा 00—10—00 के आधार खसरा नंबर 765 रकबा 0.08 है0, वर्किग खसरा नंबर 3156 रकबा 00—10—00 के आधार खसरा नंबर 764 रकबा 0.08 है0 एवं वर्किग खसरा नंबर 3155 रकबा 00—02—00 के आधार खसरा नंबर 736 रकबा 0.02 है0 बने है । चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के कॉलम संख्या 5 में अंकित प्रविष्ठि के अनुसार खसरा संख्या 2818 रकबा 5—19—00 व 2819 रकबा 4—01—00 गेना वल्द गुल्ला कौम रावत साकिन भवानीखेड़ा मजरा देह सिकमी मुद्दत 5 साल तक अंकित है अर्थात् प्रार्थीगण के पूर्वज ज्ञाना (गैना) पुत्र गुल्ला संवत् 2013 से उक्त आराजियात पर बहैसियत शिकमी कृषक काबिज थे जो खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2042 के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज तत्पश्चात् प्रार्थीगण आदिनांक तक काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन वर्तमान अधिकार अभिलेख में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो जाने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदमाखलत उत्पन्न करने, बेदखल कर जबरन अतिक्रमण करने एवं बिना कब्जे के रहन, बेचान, मुन्तकिल करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 9.2.2016 द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.1.2016 तक पाबंद किया कि वे वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा निर्माण कार्य नहीं करे । अधी0न्याया0 के इस आदेश दिनांक 9.2.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 से 16 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 के निस्तारण करने में धारा 212 के तीन मुख्य घटकों प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के सिद्धांतों को नजरअदांज कर क्षेत्राधिकार से परे जाकर मनमाना आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 से 16 ने विवादित भूमि बाबत् खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जो मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर निर्णित होना है । विवादित भूमि में रेस्पो0 का कोई लोकस नहीं होते हुए भी अधी0न्याया0 ने कयास के आधार पर

अपीलांटस के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है । विवादित भूमि अपीलांटस के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है । राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि जागीर रिजंश्न के समय से अर्थात् संवत् 2018 से अपीलांट के दादा के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी, उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिसान अपीलांटस एवं अन्य तरतीबी रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार अंकित चली आ रही है । रेस्पो0 संख्या 1 से 16 ना तो विवादित भूमि के खातेदार है एव ंना ही काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 ने खातेदार काश्तकार अपीलांटस के विरूद्ध उनको बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत रूप से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 1 से 16 का विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है । उनके द्वारा प्रस्तुत वाद में वे उनके पिता को अपीलांटस के पूर्वज का 5 वर्ष के लिए कृषक बताते हुए विवादित भूमि की घोषणा हेतु वाद लेकर आये है जो मूल वाद में निर्णित होना है । बिना किसी आधार के अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/अप्रार्थीगण को जो कि एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, को स्वंय की भूमि पर उसे रिकार्ड की यथास्थिति एवं निर्माण कार्य करने से पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांटस अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी/अपीलांटस के दादा गिरधरलाल जो कि रिकार्डेड खातेदार थे के द्वारा वादीगण के पूर्वज गेना को 5 वर्ष के लिए सिजारी काश्त पर दी थी तथा 5 वर्ष पश्चात् वापस उसे हटा दिया था जैसा कि जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में अंकन है। वादीगण को 5 वर्ष के लिए हांसल पर काश्त किये जाने से किस प्रकार खातेदारी अधिकार किस प्रावधान के तहत मिलते है यह वाद में स्पष्ट नहीं किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसी कौनी सी साक्ष्य थी जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है, अपने आदेश में अंकित नहीं किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 2000 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 3032, आर0आर0डी0 1985 पेज 351, डी0एन0जे0 2014 राज0 (1) पेज 35 तथा आर0आर0डी0 1984 पेज 492 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 16 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के कॉलम संख्या 5 में अंकित प्रविष्ठि के अनुसार खसरा नंबर 218 रकबा 5–19–00 एवं खसरा नंबर 2819 रकबा 4–1–00 बीघा गैना वल्द गुल्ला कौम रावत साकिन भवानीखेड़ा मजरा देह शिकमी मुद्दत 5 साल तक अंकित है । विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त रेस्पो0 का ही चला आ रहा है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरियों संवत् 2014 से 2042 से होती है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है । मूल वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । वाद के विचाराधीन रहते अपीलांटस द्वारा यदि अपीलांटस द्वारा विवादित आराजियात का बेचान, हस्तातंरण अन्यंत्र कर दिया जाता है एवं भूमि पर निर्माण इत्यादि कर स्वरूप परिवर्तित कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति रेस्पो0 को होगी । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर वाद के अपीलांटस को आगामी तारीख पेशी तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश । अपीलांटस ने जो तथ्य अपील में उठाये है वे अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर उठा सकते थे । बहस में यह भी कथन किया अपीलांटस द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश

के विरूद्ध अपील पेश की है जो संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 16 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत दिनांक 9.2.2016 को पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 16 के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनकर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.1.2016 तक पाबंद कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंतिम आदेश पारित नहीं कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है । मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों की साक्ष्य, सबूत उपरांत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय किया जावेगा । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा रिवीजन/एल0आर0/9867/2012/नागौर बउनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 12.3.2014 में गाईड लाईन की क्रम संख्या 2 में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिये गये है किः– " The Appellate Courts have no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte orders which are effective only till next date of hearing and have been passed under Rule 3 and 3 A of Order 39 of the Code or where there is no order of the trial court on the application of temporary injunction or appointment of receiver."

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध पेश किये जाने से संधारण योग्य नहीं है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर शीघ्र निर्णित करे ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का एक माह में आवश्यक रूप से निस्तारण करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर